

कार्यालय-जिलाधिकारी, देहरादून।

पत्र संख्या- /सं.क./वनाधिकारी/बैठक/2019-20 दिनांक 25 जुलाई, 2019
वनाधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
निवासी हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त:

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-6 (समय समय पर यथा संशोधित) के धारा-6 (5) तथा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-11-9/98-FC(pt) दिनांक 03. अगस्त, 2009 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 25.07.2019 में जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समस्त अन्य सदस्यगण उपस्थित रहें। इस बैठक में निम्न प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार किन्हीं अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के Right व Settlement के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विमर्श किया गया।

जिला देहरादून उत्तराखण्ड में चकराता वन प्रभाग के देवघर रेंज के अन्तर्गत आरक्षित वन संग्रेड कक्ष सं0-2 ग्राम कुणा नीचली बौराड़ त्यूनी में पेयजल सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं के निर्माण हेतु 0.054 हेक्टेयर वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पुरोड़ी देहरादून को हस्तान्तरण।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा कुणा नीचली बौराड़ त्यूनी के ग्राम स्तरीय समिति द्वारा उनके बैठक दिनांक 15.11.2016 को विचार विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा-6(3) के प्राविधानानुसार उपजिलाधिकारी, सदर, देहरादून की अध्यक्षता में गठित उपजिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/आख्या दिनांकित 20.7.2019 के अनुसार वर्तमान में विचाराधीन कुल उक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में यह पाया कि चकराता वन प्रभाग के देवघर रेंज के अन्तर्गत आरक्षित वन संग्रेड कक्ष संख्या-2 के चिन्हित भू-भाग पर वन अधिकार हेतु किन्हीं अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाय कोई Right व Settlement की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः वन अधिकारी हेतु दावा नहीं है।

बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया। अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गयी।


जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून
(सदस्य/सचिव)

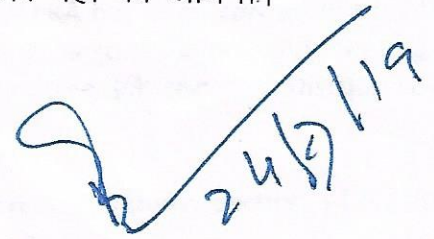

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग
चकराता वन प्रभाग
(सदस्य)


जिलाधिकारी,
देहरादून
(अध्यक्ष)

कार्यालय—जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून
पत्र संख्या—441 / स.क. / वनाधिकार / बैठक / 2019-20 दिनांक 24 जुलाई 2019
::नोटिस::

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-6 (समय समय पर यथा संशोधित) के धारा-6(5) तथा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-11-9/98-FC(pt) दिनांक 03 अगस्त, 2009 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25.07.2019 में जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में आहूत की गयी। बैठक में जिला देहरादून उत्तराखण्ड में चकराता वन प्रभाग के देवघर रेंज के अन्तर्गत आरक्षित वन संग्रेड़ कक्ष संख्या-2 में अन्य आधारभूत सुविधाओं के निर्माण हेतु 0.054 हेक्टेयर वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पुरोड़ी देहरादून को हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार किन्हीं अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के Right व Settlement के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विमर्श किया जाना है। उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा कुणा नीचली बौराड़, त्यूनी देहरादून के ग्राम स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनांक 15.11.2016 को विचार विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है।

अतः समस्त जनसाधारण को सूचित किया जाता है, कि यदि इस सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह लिखित रूप में तीन दिन के अन्दर समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून को प्रस्तुत करें। तिथि के पश्चात् किसी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

 24/7/19

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
देहरादून

FORM – II
(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector *Dehradun.*

No 2

Dated 5.8.2019

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.054 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of (name of user agency) for UJIN (purpose for diversion of forest land) in district falls within jurisdiction of Kunns village (s) in Tehri tehsils.

Nichaji Bagra

It is further certified that –

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire hectares of forest land for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights committed (s), Gram Sabha (s) sub-division level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of villages (s) is enclosed as annexure to annexure
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50 % of the members of Gram Sabha present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (f) The right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl – As above

[Signature]
 Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

[Seal]
 जिलाधिकारी

प्रारूप — 30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss C. Ravigankar I.A.S deputy commissioner Dehradun on dated 25/03/19 at time at in which application claiming rights in T.S.P. area measuring 0.054 hect for the construction of water supply scheme forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Tilwari sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place

Dated

Deputy Commissioner-cum-chairman
District Level Committee

जिलाधिकारी
देहरादून

अधिशारी अभियन्ता
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पयजल निगम
नया चकराता (पुरोड़ी)

विनोद भण्डारी
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र
तहसील
Encl
02/04/19

Spd
-MRFI,
तहसीलदार
तुली

15/4/2019
उप जिलाधिकारी
कालसी

प्रारूप - 30.2

परियोजना का नाम - निचली बौराड़ हरिजन बस्ती पेयजल योजना

कार्यालय उप जिलाधिकारी बालसी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड त्यनी परिक्षेत्र के अन्तर्गत नीचली बौराड़ हरिजन बस्ती (0.054 हे० आरक्षित वन भूमि, हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.054 हे० वन भूमि) का उपखण्ड पेयजल निगमप्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील त्यनी) की दिनांक 80/07/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री प्रदीप सिंह उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री अपूर्वा सिंह उपजिलाधिकारी अध्यक्ष।
2. श्री प्रदीप सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य।
3. श्री सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव।
4. श्री वी०डी०सी० क्षेत्र सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया, कि नीचली बौराड़ हरिजन बस्ती त्यनी चक्राला परियोजना हेतु 0.054 हे० वन भूमि हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुपस्थिति की गई है।सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चक्राला द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।बैठक में सर्वसम्पत्ति से उपखण्ड त्यनी परिक्षेत्र के अन्तर्गत नीचली बौराड़ हरिजन बस्ती परियोजना के निर्माण हेतु हे० वन भूमि पेयजल प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। निगमपुरा

प्रतिलिपि - जिलाधिकारी, देहराइन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिम सिंह व०की०८७०

वन अधिकारी
देहराइन
चक्राला वन प्रभाग

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील त्यनी
जनपद देहराइन

विनोद भण्डारी
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र देहराइन
तहसील देहराइन

रमणीलदा
जनपद देहराइन

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील त्यनी
जनपद देहराइन

प्रारूप - 30.3

परियोजना का नाम - निचली बौराड हरिजन बस्ती पेयजल योजना

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम
तहसील निचली जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत निचली बौराड हरिजन बस्ती पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु (0.054 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.054 हे० सिविल सौभाग्य भूमि 0.054 हे० वन पंचायत भूमि 0.054 हे०) अर्थात् कुल 0.054 हे० वन भूमि का पेयजल निर्माण विभाग/सरस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यापत्ति करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुणा द्वारा दिनांक 15.11.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है, अथवा नहीं। उपरिष्ठत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हमन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया, कि ग्राम कुणा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि पेयजल निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत निचली अधिकारी
ग्राम पं० 2061
विकास खण्ड चक्राता (देहरादून)

ह०/-
ग्राम सचिव
गुहर सहित

प्रीतम सिंह
क० वी० ३०
वन क्षेत्र अधिकारी
देवधर राजि लानी
तहसील वन

Raghu
ग्राम प्रधान/सरपंच
गुहर सहित

विनोद भण्डारी
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र निचली
तहसील निचली

तहसील
निचली

उप जिलाधिकारी
कालसी

गाम पंचायत कुणा के अर्हता निचला बोर्ड
 ये यत्न यो जना के लाभित परिकारों के
 दल्लाकर देव सूची निम्न वत है

क्र.सं.	नाम	S/O नामिया	सं.सं.
1			1) साधु
2			2) रही देवी
3	सुशीला	S/O सींगू लीला	3) सुशीला ✓
4	कुमारी दास	S/O कनसरु	4) कुमारी
5	शमशेर सिंह	S/O नैवकु सिंह	5) शमशेर सिंह
6	गोविन्द राम	S/O जमकु	6) गोविन्द राम
7	कतपाल	S/O मुन्ना राम	7) कतपाल
8	साधु राम	S/O सावणु	8) साधु राम
9	कमलेश	S/O सुशीला	9) कमलेश
10	प्रमेश कुमार		10) प्रमेश कुमार
11	मुन्ना राम	S/O जानिया	मुन्ना राम
12	सुशील	S/O गणेश लाल	S/O गणेश लाल
13	जयपाल सिंह	S/O जवाहर सिंह	जयपाल सिंह
14	राम लाल	S/O जमकु	राम लाल
15	गणेश लाल	S/O गणेश लाल	गणेश लाल
16	जवाहर सिंह	S/O जवाहर सिंह	जवाहर सिंह
17			
18			

1	बोशनी	w/o • ज्ञानू	रोशनी
2	केवला	w/o बैसाकु	केवला
3	कान्ति देवी	w/o कुमदास	कान्ति देवी
4			मोरा देवी
5	कान्ता	w/o कुमदास	कान्ता
6	नन्दी देवी	w/o सुधीया	सा नन्दी देवी
7	प्रतिमा	w/o रामनाल	प्रतिमा
8	बाना देवी		बीना देवी
9	दिमा	w/o मुन्ना राम	• दिमा
10	ममता	w/o नरेश	• ममता

इप्लॉयड एम्प्लॉयड ग्राम कल्लोचक के सही है
पुनर्गठित

Raghu

विश्व चक्रवर्ती